बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेलीरोड), पटना– 800001

विज्ञापन संख्या– 22/2024 के अन्तर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में सम्मिलित तांती (ततवा) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए

आवश्यक सूचना

Civil Appeal No. 18802/2017, Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar Vrs. State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक मे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या–11/आ०–न्याय–73/2024 12679/सा०प्र०, दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में "तांती (ततवा)" जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक– 33 पर पुनर्स्थापित किया है।

अतः विज्ञापन संख्या– 22/2024 के अन्तर्गत अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में शामिल "तांती (ततवा)" जाति के सभी उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में अपने On line आवेदन में अनुसूचित जाति (02) कोटि के आधार पर "पान/स्वासी" जाति का दावा किया है वे कृपया अपने Username एवं Password से Login करते हुए दिनांक 02.09.2024 से दिनांक 23.09.2024 तक अपनी कोटि "अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04)" के तहत "तांती (ततवा)" के रूप में सुधार करना तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोटि सुधार एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

यदि दिनांक 23.09.2024 तक आरक्षण कोटि मे सुधार/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थित्व पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

22.8.2024

परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना